न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2017 (राजस्व अपील) दायर दिनांक 03.07.2017

श्री हरीशचन्द्र पिता नीलकण्ठ ब्राहमण, निवासी ताणा, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ ।

अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ
2. पटवार हल्का ताणा जरिये पटवारी साहब, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार कपासन प्रकरण नं.17/2017 निर्णय दिनांक 05.06.2017

उपस्थितः— वकील अपीलान्ट :— श्री शिवनारायण जाट

वकील रेस्पोडेन्ट :— 1. श्री चन्दनमल जणवा

2. पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.11.2019

उपरोक्त अनुवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार भूपालसागर के समक्ष पटवार हल्का ताणा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आराजी नम्बर 651 रकबा 2.0 हैक्टर भूमि पर हरीश कुमार ब्राहमण निवासी ताणा का अतिक्रमण है, रिपोर्ट पर कार्यवाही कर तहसीलदार साहब भूपालसागर का निर्णय पारित कर हरीशचन्द्र को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 (3) के तहत् अतिक्रमी घोषित करते हुए जुर्माना स्वरूप 100/— रू शास्ती आरोपित की एवं तीन माह की सजा से दण्डीत करने का आदेश दिया है, इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलाण्ट की अपीन निम्न आधारों पर पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2017 को दर्ज कर दिनांक 05.06.2017 को त्वरित गति से निर्णय पारित कर दिया, अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका नही दिया जिससे न्यायिक सिद्वान्त का हनन हुआ है, अपीलाण्ट को नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें दिंनाक 09.06.2017 की पेशी अंकित है, परंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी से पूर्व ही दिनांक 05.06.2017 को एक तरफा निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है एवं अपीलाण्ट बचाव में

कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है। इस प्रकार अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही राजनैतिक दबाव मे आकर निर्णय पारित किया गया है। आरजी नं. 651 रकबा 2.0 है, मौजा ताणा की भूमि पर अपीलाण्ट का बाप दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है, अपीलाण्ट को पूर्व मे कभी बेदखल नहीं किया गया है, न ही अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है, निर्णय में प्रकरण संख्या 445/2016 के प्रकरण का हवाला देते हुए दिनांक 09.11.2016 को अपीलाण्ट को बेदखल किया, ऐसी कोई कार्यवाही हुई नहीं है, न ही ऐसी कार्यवाही मे अपीलाण्ट कोई नोटिस मिला, और मौके पर भी कोई बेदखली की कार्यवाही नही हुई जिससे अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती कब्जा साबित नही हुआ है, एवं पूर्व बेदखली का कोई आदेश पत्रावली पर नही है, जिससे प्रमाणित हो कि अपीलाण्ट ने पश्चातवर्ती कब्जा किया हो और अपीलाण्ट को कभी बेदखल किया हो एवं इस कानूनी सिद्धांत के आधार पर अपीलाण्ट को सजा दिया जाना एवं भौतिक रूप से बेदखल किया जाना कानूनी रूप से उचित नही है। आराजी नं. 651 रकबा 2.00 है पर अपीलाण्ट के बाप दादाओं से 60 व र्षो से कब्जा चला आ रहा है, पूर्व यह कृषि भूमि बिलानाम काबिल काश्त थी, जिसको अपीलाण्ट ने काफी अंग मेहनत व लागत लगाकर कृषि उपयोगी बनाया है तथा वर्तमान में भी यह कृषि योग्य भूमि है तथा अपीलाण्ट ने इस पर ट्युबवेल लगा रखा है, मकान बना रखा है, एवं निवास कर रहा है, तथा खेती कर अपने परिवार का पालन पाषण कर रहा है, इस प्रकार अपीलाण्ट का काफी पैसा इस भूमि पर व्यय हो चुका है, परंतु अपीलाण्ट की जानकारी के बिना कृषि योग्य भूमि को कुछ वर्ष पूर्व ही बिना कोई जांच किये चारागाह में दर्ज कर दी है, इस प्रकार किस्त गलत रूप से परिवर्तन कर दी गई एवं इस आड मे अपीलाण्ट को कृषि योग्य भूमि से बेदखल किया जाना न्यायोचित नही हैं, अपीलाण्ट भूमिहीन कृषक है, एवं खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उपरोक्त आराजी नं. 651 कृषि योग्य भूमि थी, जिसको अपीलाण्ट का पुराना कब्जा होने से आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखकर कृषि हेतु आवंटित किया जाना उचित होगा, प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया एव कोई राय प्राप्त नहीं की गई है, मात्र बेदखली का आदेश दिय जाने से अपीलाण्ट के हितों पर बुरा प्रभाव पड रहा है, तथा अपीलाण्ट को आंवटित किये जाने योग्य कृषि भूमि से बेदखल करना कतई उचित नही है। उक्त कृषि भूमि के पास

काफी चारागाह भूमि है, जिस पर कई लोग कृषि कर जीवनयापन कर रहे है परंतु अपीलाण्ट एवं ग्रामवासियों ने तीन माह पूर्व गावं मे स्वच्छ भारत अभियान योजना के अंतर्गत शौचालय नही बनने के बावजूद भी सरपंच द्वारा पंचायत को खुले में शौच मुक्त कर गौरव यात्रा निकालने का विरोध किया जिसका अखबार में भी प्रकाशन हुआ, मौके पर भारी विरोध होने से सरपंच, प्रधान, उप्रधान एवं प्रशासन के अधिकारी अपीलाण्ट से नाराज होकर द्वेषता रखने लगे एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत कार्यवाही करा दबाव डालकर सजा का निर्णय पारित कराया गया है ताकि अपीलाण्ट को हताश होना पडे जबकि वहां की चारागाह भूमि पर कई प्रभुत्वशाली एव राजनैतिक प्रभावशाली लोगों के कब्जे है, जिनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही कर केवल मात्र अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही की गई है जो पूर्णतया राजनैतिक द्वेषता से कराई गई है। तहसीलदार साहब द्वारा उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान नही लिये, पर्चा मौका नही बनाया, जिरह का मौका नही दिया गया। गावं के मौतबिरान के कोई साक्ष्य नही है, केवल खानापूर्ति कर आनन–फानन मे सजा का आदेश देकर कानूनी भूल की है एवं एक तरफा कार्यवाही की प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजना उचित नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। जुर्माना राशि माननीय न्यायालय उचित समझे तो अपीलान्ट जमा कराने को तैयार है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 को निरस्त फरमाया जावें एवं प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट ने प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना–पत्र जारी किये गये। वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की और से पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार भूपालसागर से अभिलेख मंगवाया गया जो उनके पत्रांक/राजस्व/2018/86 दिनांक 14.03.2018 से प्राप्त। वकील विपक्षी प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस चाहने से प्रकरण बहस हेतु दिनांक 13.11.2019 नियत किया गया।

प्रकरण में बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई। बहस में वकील अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को अवैधानिक ठहराया और जल्दबाजी में दिया गया

आदेश बताया। पैरोकार सरकार ने बहस में बताया कि अपीलान्ट जो कि न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर के प्रकरण में विपक्षी है ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा विपक्षी/अपीलान्ट अतिक्रमण करने का आदी है। क्योंकि सम्वत् 2073 फसल खरीफ में आराजी नम्बर 651 रकबा 2 हैक्टर चारागाह पर अतिक्रमण किया जो प्रकरण संख्या 445/2016 दर्ज होकर बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया था और पटवरी हलका रिपोर्ट दिनांक 09.11.2016 के अनुसार अतिक्रमी को बेदखल कर दिया गया। अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रण किया गया और चारागाह भूमि आराजी संख्या 651 रकबा 2 हैक्टर भूमि पर विपक्षी/अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर लिया और अतिक्रमण कर खेत के चारों और डोल व पक्का गेट ओर मकान बना लिया। इस प्रकार विपक्षी/अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि चारागाह आराजी नम्बर 651 रकबा 2 हैक्टर भूमि का तहसीलदार खातेदार है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जिसमें विपक्षी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी/ अपीलान्ट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत् अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना स्वरूप 100/—रूपये की शास्ति आरोपित की जाकर, विपक्षी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से विपक्षी/अपीलान्ट को तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया जो न्याय एवं विधि अनुसार सही है। अतः विपक्षी/अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड एवं दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा की गई बहस में प्रकट तथ्यों पर मनन किया गया। उक्त रेकार्ड एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय भूपालसागर का शेष बेदखली एवं जुर्माना राशि निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2020.03.06 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: